After scanning mail
Gupta 2/5

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय–लखनऊ।

परिपत्र सं0–सी– 16 /तक0प्रकोष्ठ/2017–18 दिनांक– 01-5-2017

**समस्त प्रबन्धक श्रेणी–1 व 2**
**उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,** "आवश्यक"
**उत्तर प्रदेश।**

**विषय–नाबार्ड द्वारा संचालित अनुदानित समस्त योजनाओं के सम्बन्ध में।**

नाबार्ड के संदर्भ सं0–एनबीयूपीआरओ0/डॉर–एलटी/1252/जीएसएस0/2016–17 दिनांक– 31.03.2017 का संदर्भ लें जिसके कम में नाबार्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि नाबार्ड के माध्यम से केन्द्र द्वारा संचालित अनुदानित योजनाओं के अन्तर्गत प्रोजेक्ट पूर्ण होने के बाद नियमानुसार कृषक के अनुदान रिजर्व फण्ड खाते में जमा की गयी धनराशि एवं सदुपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0–सी–93/तक0प्रकोष्ठ/2010–11 दिनांक–27.12.2010 के साथ संलग्न नाबार्ड के परिपत्र सं0–186/टीएसडी0–03 /2010 दिनांक–21.09.2010 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रधान कार्यालय के माध्यम से नाबार्ड को प्रेषित की जानी है। (संलग्न–प्रारूप)

अतः उक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि नाबार्ड द्वारा अनुदानित योजनाओं का सदुपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर नियमानुसार प्रधान कार्यालय को परिपत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर शाखा प्रबन्धक द्वारा भली–भांति जॉच कर प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि उसे समय से नाबार्ड प्रेषित किया जा सके। 29/4/17

( श्रीकान्त गोस्वामी )
प्रबन्ध निदेशक

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1. समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति अपने जनपद की समस्त शाखा प्रबन्धकों को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. उप महाप्रबन्धक(आई0टी0सेल),उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को बैंक की समस्त जनपदीय शाखाओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

( अजय पाल सिंह )
महाप्रबन्धक(तक0)

Sending mail → S.K. Tiwari → Subsidy Schemes

Ref.No.NB.UPRO/ DOR-LT/ 1252 / GSS / 2016-17 31 March 2017

NABARD

i. The RM/ZM- Controlling Offices of All Commercial Banks in UP

ii. The Chairman, All RRBs in UP

iii. The Managing Director, UPCB Ltd. Lucknow

iv. The Managing Director, UPSGVB Ltd. Lucknow

Dear Sir,

**Govt Sponsored Schemes routed through NABARD-Submission of Utilisation Certificate**

We would like to bring to your kind attention, the instructions of various Government Subsidy Schemes routed through NABARD wherein it is advised that after crediting the subsidy in the Subsidy Reserve Fund Account of the borrowers under the respective Scheme, a Utilisation Certificate in the prescribed format (as per the scheme) shall be submitted by the participating bank to NABARD. However, it has been observed banks are not regularly submitting the utilization certificates against the claims submitted.

You are therefore requested to comply with the instructions and forward to us the utilization certificates of all the claims under various Government Subsidy Schemes against which subsidy has been received.

Yours faithfully

(Ajanta Khaklari)
Asst. General Manager

उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0- ग्री-93/तक0प्रकोष्ठ/2010-11 दिनांक-27.12.2010

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः- केन्द्रीय योजनान्तर्गत डेरी उद्यमिता विकास योजना हेतु ऋण वितरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

भारत सरकार द्वारा डेरी उद्यमिता विकास योजना के विकास हेतु डेरी वेन्चर कैपिटल फण्ड की स्थापना की गयी है। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त योजना राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य स्वच्छ दूध के उत्पादन हेतु आधुनिक डेरी फार्मों की स्थापना, बछिया पालन को प्रोत्साहन, असंगठित क्षेत्रों में ढांचागत बदलाव, वाणिज्यिक स्तर पर दूध के बेहतर उपयोग हेतु उसके गुणवत्ता एवं उससे जुड़ी परम्परागत प्रोद्योगिकी में सुधार, अनियोजित डेरी क्षत्र हेतु स्व-रोजगार के अवसर और आधारभूत संरचना उत्पन्न करना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु लागू की गयी है। इस योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नाबार्ड द्वारा निर्गत विस्तृत निर्देश जनपद स्तर की शाखाओं पर प्रेषित किये जा रहें हैं।

डेरी उद्यमिता विकास योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा पूँजी अनुदान परिव्यय का 25 प्रतिशत (33.33 प्रतिशत अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 उद्यमितयों हेतु) प्रदान की जायेगी। योजना की पहली किश्त जारी करने के उपरान्त ही बैंक नाबार्ड को अनुदान की मंजूरी एवं पात्र अनुदान हेतु आवेदन करेगा, एवं नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनुदान जारी की जायेगी। न्यूनतम 03 वर्ष की समयबन्दी के साथ पूँजी अनुदान पश्चायी (बैक एन्डेड) होगी। बैंक को नाबार्ड से अनुदान की धनराशि प्राप्त होने तक समस्त ऋण राशि पर ब्याज लिया जायेगा। शाखा को अनुदान प्राप्त होने की तिथि से केवल बैंक ऋण जिसमें अनुदान की धनराशि घटाने के उपरान्त अवशेष राशि पर ब्याज लिया जायेगा।

लाभार्थी के ऋण की प्रतिभूति के रूप में ऋण राशि के दोगुने मूल्य की भारमुक्त कृषि योग्य भूमि प्रतिभूति के रूप में बन्धक की जायेगी। योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो जनपद के पशु पालन अधिकारी, दुग्ध विकास अधिकारी एवं डी0डी0एम0, नाबार्ड से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त किया जाये।

इस योजना के अन्तर्गत वितरित ऋण का नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु निर्धारित विवरण पत्र एल0डी0बी0-28 पर प्रत्येक माह सूचना मुख्यालय के ऋणपत्र अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(नवल किशोर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषितः-

1- समस्त मण्डल प्रभारी, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
2- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
3- समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

(गोविन्द कुमार)
मुख्य महाप्रबन्धक(तकनीकी)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
तकनीकी सेवा विभाग
TECHNICAL SERVICES DEPARTMENT

मुंबई
तीसरी मंजिल, सी कक्ष
सी-24, जी ब्लाक
बांद्रा - कुर्ला संकुल
बांद्रा (पूर्व)
मुंबई -400051
टेलि: 26530039,26530038
फैक्स : 26530091

Mumbai
'C' Wing, III Floor
C-24, 'G' Block
Bandra-Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400051.
Tel : 26530039,26530038
Fax : 26530091
E-Mail : tsd@nabard.org

संदर्भ सं.एनबी.टीएसडी/ 1660 /वीसीएफ-4/2010-11

परिपत्र सं. 186 / टीएसडी-03 /2010

21 सितम्बर 2010

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
सभी क्षेत्रा बैंक/ एससीएआरडीबी/ रास बैंक
नाबार्ड पुनर्वित्त हेतु पात्र अन्य सभी संस्थाएँ

महोदय

**डेरी और मुर्गीपालन जोखिम पूँजी निधि -डेरी उद्यमिता विकास योजना (डीइडीएस)**

कृपया डेरी और मुर्गीपालन हेतु जोखिम पूँजी निधि के दिशानिर्देशों की जानकारी देने वाले हमारे परिपत्र सं.32/ आईसीडी-6/ 2004-05 दिनांक 16 फरवरी 2005, डेरी और मुर्गीपालन क्षेत्रों के पृथक्करण की सूचना देने वाले परिपत्र सं.93/ टीएसडी-03/2009 दिनांक 19 जून 2009 तथा वर्ष 2010-11 के दौरान भी इस योजना के जारी रहने की जानकारी देने वाले परिपत्र सं.96/ टीएसडी-01/ 2010 दिनांक 07 मई 2010 का अवलोकन करें.

1. इस योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से कुछ ऐसी सिफारिशें की गई हैं जिनसे इस योजना के क्रियान्वयन की गति में तेजी लाई जा सके मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिशों तथा किसानों, राज्य सरकारों और बैंकों को शामिल करते हुए विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन मोड को ब्याज मुक्त ऋण से (आईएफएल) से पूँजी उपदान में परिवर्तित करने का, यूनिट लागतों को संशोधित करने का, कुछ नए घटकों को शामिल करने का एवं नाम को बदलकर "डेरी उद्यमिता विकास योजना (डीइडीएस)" नाम देने का निर्णय लिया गया है.

2. यह संशोधित योजना 01 सितम्बर 2010 से प्रभावी है. 2010-11 के दौरान इस योजना हेतु बजट का प्रावधान रु.32.40 करोड़ हैं (उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए रु.4.18 करोड़ तथा तत्कालीन डेरी जोखिम पूँजी निधि योजना (डीवीसीएफ) के तहत जारी निधि को मिलाकर).

3. 01 सितम्बर 2010 को या उसके पश्चात् बैंकों द्वारा संक्तिरित और मंजूर प्रस्तावों को संशोधित योजना अर्थात् डीइडीएस के अंतर्गत ही कवर किया जाएगा. प्रस्तावों पर निधियों की उपलब्धता के अधीन प्राप्ति के क्रमानुसार विचार किया जाएगा.

4. डीवीसीएफ योजना के तहत जिन दावों के संबंध में आईएफएल, नाबार्ड द्वारा पहले ही मंजूर और जारी किया जा चुका है उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा.

5. जिन प्रस्तावों को बैंकों ने 31 अगस्त 2010 को या उससे पूर्व मंजूरी दे दी है किन्तु जिन्हें नाबार्ड को नहीं भेजा गया है, उन मामलों में मंजूरी को पुनर्वैधीकृत करके तथा ऋण की पहली किस्त के संवितरण के पश्चात, उन्हें नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जाए.

6. हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के पास लंबित सभी प्रस्तावों को संबंधित बैंकों को वापस लौटा दिया जाएगा. वे मंजूरी का पुनर्वैधीकरण करवाएँ तथा ऋण की पहली किस्त के संवितरण के पश्चात इसे नाबार्ड को प्रस्तुत कर दें. ऐसे प्रस्तावों पर भी निधियों की उपलब्धता के अधीन, प्राप्ति के क्रमानुसार विचार किया जाएगा.

7. बैंक, डीवीसीएफ के तहत प्राप्त अदायगियों और धन की वापसी, यदि हो तो, को ऋण रकम की परिसमाप्ति तक नाबार्ड को अनुपातिक आधार पर प्रेषित करना जारी रखेंगे.

8. बैंक, चुकौती अवधि की समाप्ति तक, वार्षिक आधार पर डीवीसीएफ के तहत नियमित खातों के विषय में ब्याज सब्सिडी का दावा जारी रख सकते हैं.

9. डीवीसीएफ की तुलना में डीइडीएस में किए गए प्रमुख परिवर्तन निम्नानुसार हैं :

| मद | डेरी जोखिम पूँजी निधि | डेरी उद्यमिता विकास योजना |
|---|---|---|
| 1. प्रदत्त सहायता | ब्याज मुक्त ऋण परिव्यय का 50% | पूँजी सब्सिडी - परिव्यय का 25% (.33.33% अजा और अजजा उद्यमियों के लिए) |
| 2. ब्याज सब्सिडी | नियमित खातों के मामले में ब्याज के 50% की प्रतिपूर्ति | ब्याज सब्सिडी नहीं |
| 3. दुधारु पशुओं के वित्तपोषण पर प्रतिबंध | आपरेशन फ्लड क्षेत्रों में दुधारु पशुओं का वित्तपोषण स्वीकार्य नहीं है. | ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है अर्थात् ओएफ क्षेत्रों में भी वित्तपोषित दुधारु पशु भी पात्र है. |
| 4. नए घटक | | निम्नलिखित नए घटक शामिल किए गए हैं :<br>क) दुधारु पशु यूनिट के साथ वर्मिकम्पोस्ट<br>ख) बछड़ा बछिया पालन<br>ग) डेरी पार्लर |
| 5.आईएफएल / सब्सिडी का उपयोग | बैंक परियोजना को स्वीकृत करें और नाबार्ड को मंजूरी और ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) जारी करने के लिए भेजें बैंक ऋण और आईएफएल एक साथ जारी किया जाए. | बैंक, पहले मंजूरी देंगे और पहली किस्त जारी करेंगे तत्पश्चात वे नाबार्ड को मंजूरी और पात्र सब्सिडी हेतु आवेदन करेंगे. |
| 6. चुकौती | उधारकर्ताओं से प्राप्त चुकौतियाँ, नाबार्ड के आनुपातिक आधार पर भेज दी जाएँ. | नाबार्ड को कोई चुकौती करने की आवश्यकता नही है. पश्चदाय सब्सिडी अंत में समायोजित की जाएगी. |

10. पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन (डीएएचडी & एफ) विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, इस योजना के संचालन के लिए केन्द्र विभाग है. सब्सिडी की मंजूरी और उसे जारी करना, निधियों की उपलब्धता और डीएएचडी & एफ, भारत सरकार और नाबार्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुपालन के अधीन है.

11. योजना के संचालन के दिशानिर्देशों की एक प्रति संलग्न है.

12. आप कृपया, संचालन के दिशानिर्देशों को अपने नियंत्रित कार्यालयों में परिचालित करें और उन्हें, नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्ताव भेजने के लिए सूचित करें.

13. आप इस योजना के व्यापक प्रचार के लिए कदम उठाएं. इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए और भावी प्रमोटरों से आवेदन जुटाने के लिए पशुपालन विभाग से भी संपर्क किया जा सकता है.

14. कृपया प्राप्ति सूचना दें.

भवदीय

**(डॉ.पी.रंगानाथन)**
**मुख्य महाप्रबंधक**
अनुलग्नक : यथोक्त

# डेरी उद्यमिता विकास योजना के संबंध में परिचालनात्मक मार्गनिर्देश

## 1. पृष्ठभूमि

1.1 पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 2005-06 के दौरान "डेरी और मुर्गीपालन के लिए जोखिम पूँजी योजना" नामक एक प्रायोगिक योजना शुरू की थी. इस योजना का मुख्य उदेश्य छोटे डेरी फार्मों की स्थापना करना और उससे जुड़े अन्य कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करना था ताकि डेरी क्षेत्र में ढाँचागत बदलाव आ सके. इस योजना के अंतर्गत व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारी संस्थाओं और कंपनियों को चुनिंदा कार्यकलापों के लिए ब्याज मुक्त ऋण(आइएफएल) के रूप में सहायता प्रदान की जाती है. इसके अंतर्गत 31 मार्च 2010 तक देश के विभिन्न भागों में स्थित 15,368 इकाइयों को रु.146.91 करोड़ की ब्याज मुक्त ऋण सहायता प्रदान की गई.

1.2 इस योजना के मूल्यांकन से यह पता चला है कि इसने कुछ राज्यों में दुधारू पशुओं के वित्तपोषण पर बड़ा ही अच्छा प्रभाव डाला है और इससे अधिक स्तर पर किसानों को लाभ हुआ है. इस अध्ययन में यह सिफारिश की गई है कि इसके अंतर्गत आपरेशन फ्लड क्षेत्र में दुधारू पशुओं के वित्तपोषण पर लगाई गई रोक को हटाया जाए. इसके अलावा, अनेक क्षेत्रों यथा किसानों, राज्यों के पशुपालन विभागों और बैंकों से यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि इसके ब्याजमुक्त ऋण सहायता वाले पहलू को पूँजी सहायता (कैपिटल सब्सिडी) में परिवर्तित कर दिया जाए.

1.3 सभी स्टेकधारकों से विस्तृत चर्चा के पश्चात पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग ने यह निर्णय लिया है कि नोडल विभाग इसके कार्यान्वयन के स्वरूप को परिवर्तित करे, मौजूदा इकाई लागतों को बढ़ाए और इसके कार्यक्षेत्र में कुछ और कार्यकलापों को सहायतार्थ शामिल करे. चूँकि इस योजना का उदेश्य उद्यमितापरक गुणों का विकास करना है, इस कारण संशोधित योजना को **"डेरी उद्यमिता विकास योजना (डेरी इंटरप्रेन्यूरशिप डेवलममेंट स्कीम)"** नाम दिया गया है.

## 2. योजना का उद्देश्य

- स्वच्छ दूध के उत्पादन के लिए आधुनिक डेरी फार्मों की स्थापना को प्रोत्साहित करना
- बछिया पालन को प्रोत्साहित करना ताकि अच्छी नस्ल के दुधारु पशुओं को बचाया जा सके.
- असंगठित क्षेत्र में ढाँचागत बदलाव लाना ताकि दूध का प्रारंभिक स्तर पर प्रसंस्करण गाँव में किया जा सके.
- वाणिज्यिक स्तर पर दूध के बेहतर उपयोग के लिए उसकी गुणवत्ता व उससे जुड़ी परम्परागत प्रौद्योगिकी में सुधार लाना.
- मुख्यत: अनियोजित डेरी क्षेत्र के लिए स्वरोजगार के अवसर और आधारभूत संरचना उत्पन्न करना

## 3. कार्यान्वयन-अवधि और परिचालन-क्षेत्र

यह स्कीम ग्यारहवीं योजना की शेष अवधि में सारे देश में कार्यांवित की जाएगी. इसके अंतर्गत दुधारु पशुओं का वित्तपोषण ऑपरेशन फ्लड वाले क्षेत्रों में भी, बिना किसी प्रतिबंध के कार्यांवित की जाएगी. यह 01 सितम्बर 2010 से

लागू होगी. इसके अंतर्गत बैंकों द्वारा 01 सितम्बर 2010 या उसके बाद मंजूर किए गए प्रस्तावों और संवितरणों को संशोधित योजना अर्थात डीईडीएस के अंतर्गत शामिल किया जाएगा. इसके पश्चात पुरानी योजना (डीवीसीएफ) के आधार पर मंजूरियाँ नहीं दी जाएंगी.

## 4. पात्रता

4.1 किसान, उद्यमी, एनजीओ, कम्पनियों, संगठित क्षेत्र आदि के समूह, संगठित क्षेत्रों के समूह में स्वयं सहायता समूह, डेरी सहकारी समितियाँ, मिल्क यूनियन, मिल्क फैडरेशन आदि शामिल हैं.

4.2 इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी सभी घटकों के लिए सहायता लेने का पात्र होगा लेकिन उसे यह सहायता प्रत्येक घटक के लिए सिर्फ एक बार ही दी जाएगी.

4.3 इस योजना के अंतर्गत एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों को सहायता प्रदान की जा सकती है, बशर्ते वे अलग-अलग आधारभूत संरचना के साथ, अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग इकाइयाँ स्थापित करें. ऐसी दो इकाइयों के बीच की दूरी कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए.

## 5. सब्सिडी

5.1 इसके अंतर्गत जिन घटकों के लिए सहायता दी जा सकती है, उनकी निवर्शी इकाई लागत और उसका स्वरूप नीचे दिया गया है :

| क्र.सं | घटक | इकाई-लागत | सहायता का स्वरूप |
|---|---|---|---|
| i | संकर नस्ल की गायों/ देशी दुधारू गायों यथा साहिवाल, रेड सिंधी, गीर, राठी आदि या दस ग्रेडेड भैंसों तक की छोटी डेरी की इकाइयों की स्थापना हेतु | दस पशुओं तक की इकाई के लिए रु.5.00 लाख - न्यूनतम दो पशु और अधिकतम दस पशु | दस पशुओं तक की इकाई के लिए कुल परिव्यय की 25% (अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों के लिए 33.33%)पश्चदाय (बैक एन्डेड) सब्सिडी के रूप में दी है और इसकी अधिकतम सीमा रु. 1.25 लाख है. (अनुसूचित जाती/जनजाति के किसानों के लिए रु. 1.67 लाख है)<br><br>दो पशुओं की इकाई के लिए अधिकतम अनुमन्य पूँजी सब्सिडी रु.25000/- होगी (अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों के लिए यह रु.33,300/- होगी . यह सब्सिडी इकाई के आकार के आधार पर समानुपातिक होगी) |
| ii | बछियों का पालन- संकर, देशी नस्ल के दुधारू पशु और ग्रेडेड भैंसे - अधिकतम 20 बछिए | बीस बछियों तक की इकाई के लिए रु.4.80 लाख - न्यूनतम पांच बछिए और अधिकतम 20 बछिए | बीस बछियों की इकाई के लिए कुल परिव्यय की 25% (अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों के लिए 33.33%)पश्चदाय (बैक एन्डेड) सब्सिडी के रूप में दी है और इसकी अधिकतम सीमा रु. 1.20 लाख है. (अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए रु. 1.60 लाख है) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | पांच बछियों की इकाई के लिए अधिकतम अनुमन्य पूँजी सब्सिडी रु.30,000/- होगी (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिए यह रु.40,000/- होगी). यह सब्सिडी इकाई के आकार के आधार पर समानुपातिक होगी. |
| iii | दुधारू पशु इकाई सहित वर्मिकम्पोस्ट (इस पर दुधारू पशुओं के साथ विचार किया जाए न कि अलग से) | रु.20,000/- | कुल परिव्यय की 25% (अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों के लिए 33.33%) पश्चदाय (बैक एन्डेड) सब्सिडी के रूप में दी है और इसकी अधिकतम सीमा रु.5000/- है. (अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए रु.6700/- है) |
| iv | दूध निथारने वाली मशीनों/ मिल्कटेस्टरों/ बल्क दूध प्रशीतन इकाइयों (2000 लीटर तक की क्षमतावाली) की खरीद | रु.18 लाख | कुल परिव्यय की 25% राशि पश्चदाय (बैक एन्डेड) पूँजी सब्सिडी के रूप में दी जाती है. इसकी अधिकतम सीमा रु.4.50 लाख है. (अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों को कुल परिव्यय की 33.33% राशि सब्सिडी के रूप में दी जाती है. इसकी अधिकतम सीमा रु.6.00 लाख है) |
| v | देशी दुग्ध उत्पादों की तैयारी के लिए डेरी प्रसंस्करण उपकरणों की खरीद | रु.12 लाख | कुल परिव्यय की 25% (अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों के लिए 33.33%) पश्चदाय (बैक एन्डेड) सब्सिडी के रूप में दी है और इसकी अधिकतम सीमा रु3.00 लाख है. (अनुसूचित जाती/जनजाति के किसानों के लिए रु.4.00 लाख है) |
| vi | दुग्ध उत्पाद यातायात सुविधाओं और कोल्ड चेन की स्थापना | रु.24 लाख | कुल परिव्यय की 25% (अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों के लिए 33.33%)पश्चदाय (बैक एन्डेड) सब्सिडी के रूप में दी है और इसकी अधिकतम सीमा रु.6.00 लाख है. (अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए रु.8.00 लाख है) |
| vii | दूध और दूध के उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा | रु.30 लाख | कुल परिव्यय की 25% (अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों के लिए 33.33%) पश्चदाय (बैक एन्डेड) सब्सिडी के रूप में दी है और इसकी अधिकतम सीमा रु.7.50 लाख है. (अनुसूचित जाती/जनजाति के किसानों के लिए रु.10.00 लाख है) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| viii | निजी पशु चिकित्सालयों की स्थापना | मोबाइल क्लीनिक के लिए 2.40 लाख और स्थायी क्लीनिक के लिए रु.1.80 लाख | मोबाइल और स्थायी क्लीनिकों के लिए कुल परिव्यय की 25% राशि पश्चदाय (बैक एन्डेड) पूँजी सब्सिडी के रूप में दी जाती है. इसकी अधिकतम सीमा क्रमश: रु.60,000 और रु.45,000 है. (अनुसूचित जाति/ जनजाति के कृषकों को कुल परिव्यय की 33.33% राशि सब्सिडी के रूप में दी जाती है और इनके लिए इसकी अधिकतम सीमा क्रमश: रु.80,000/- और 60,000/- रु.है) |
| ix | दुग्ध विपणन केन्द्र/ डेरी पार्लर | रु.56000/- | कुल परिव्यय की 25% राशि (अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों के लिए 33.33%) पश्चदाय (बैक एन्डेड) सब्सिडी के रूप में दी है और इसकी अधिकतम सीमा रु.14000/- है. (अनुसूचित जाती/जनजाति के किसानों के लिए रु.18,600 है) |

## 6. निधि पैटर्न

- लाभार्थी अंशदान (मार्जिन) - परिव्यय का 10% (न्यूनतम).
- पश्चदायी पूँजी सब्सिडी - यथा इंगित
- प्रभावी बैंक ऋण - शेष अंश, परिव्यय का न्यूनतम 40%

## 7. ऋण सहबद्धता

योजना के तहत सहायता ऋण सहबद्धता के रूप में होगी और पात्र वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रोजेक्ट की मंजूरी की शर्त के तहत होगी.

## 8. पात्र वित्तीय संस्थाएँ

1. वाणिज्य बैंक
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3. राज्य सहकारी बैंक
4. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक: और
5. अन्य ऐसी संस्थाएँ जो **नाबार्ड** से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए पात्र हैं.

## 9. बैंकों द्वारा मंजूरी

9.1 उद्यमकर्ता प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए बैंकों को आवेदन करेंगे. बैंक अपनी मानदंडों के अनुसार प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करेंगे और यदि पात्र समझा जाएगा तो मार्जिन राशि को छोड़कर कुल परिव्यय को बैंक